

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या—9/ उपार्कीटञ्जनु—10/ 2007
प्रेषक,

/ कृ०, पटना, दिनांक सितम्बर, 2014

*(T.M.)
29-9-14*
विनय कुमार भावप्रसोद
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।
सेवा में,

श्री सुधीर चन्द्र दास, महाप्रबंधक (मार्केटिंग),
मेसर्स केमिनोवा इण्डिया लिंग,
H/O—श्री के० पी० राय,
बी०—३ पत्रकार नगर, कंकड़बाग, पटना—२०

प्राप्ति नं १३७७
दिनांक ३०.९.१४

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञाप्ति संख्या—६६ एवं १०४ दिनांक ३१.१२.२०१२ वैद्यता तिथि ३१.१२.२०१४ में Endorsment के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चलान एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के आलोक में निम्नलिखित कीटनाशियों का अनुज्ञाप्ति संख्या ६६—१०४ दिनांक ३१.१२.२०१२ वैद्यता तिथि ३१.१२.२०१४ के अन्तर्गत Endorsment किया जाता है।

क्रमांक	कीटनाशी का नाम	क्रमांक	कीटनाशी का नाम
१	Buprofezin 25% SC	४	Acetamiprid 20% SP
२	Indoxacarb 14.5% SC	५	Carbendazim 12%+Mancozeb 63% WP
३	Thiamethoxam 25% WG	६	Acephate 25%+Fenvalerate 3%EC

२—उपर्युक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:- मेसर्स केमिनोवा इण्डिया लिंग, H/O— श्रीमति प्रमिला देवी, शीतला माला मंदिर रोड, अगमकुआँ, पटना—४५०००७

३—यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

४—अनुज्ञाप्त प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

५—भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

६—अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

७—नियम १० बी० के तहत सत्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

८—अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विर्निमाता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/विक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,

४०/-

(विनय कुमार)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

/ कृ०, पटना, दिनांक २२ सितम्बर, 2014

ज्ञापांक ५१५६

प्रतिलिपि— (१) संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक कृषि निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(२) उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।